<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> तहसील बैहर, जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—148 / 2012 संस्थित दिनांक—05 / 03 / 2012 फाईलिंग क.234503000352012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस आरक्षी केन्द्र—बिरसा, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

. – – <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

उत्तमसिंह पिता गुमानसिंह ढुलिया उम्र—45 वर्ष, निवासी—चरचेंडी, थाना बिरसा जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> //

(आज दिनांक—13.12.2017 को घोषित)

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—24/01/2012 को समय करीब 01:30 बजे स्थान प्रेमसिंग के घर के सामने ग्राम चरचेण्डी थाना अंतर्गत बिरसा में लोकस्थान पर फरियादी धनेश्वर मरावी को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुन्नेवालों को क्षोभ कारित कर आहत रामेश्वर को झापड़ मारकर एवं पीठ पर मुक्का मारकर स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादी धनेश्वर मरावी को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित कर फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में अभियुक्त को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त किया है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी धनेश्वर मरावी ने थाना बिरसा में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक—27.01.2012 को करीब 01:30 बजे फरियादी के घर के सामने रोड किनारे अभियुक्त उत्तमसिंह ने उसकी

पत्नी के साथ बरसादी के घर गंगापूजन कार्यक्रम में आया था। फरियादी का छोटा भाई रामेश्वर उसके दादा देवासिंह से विवाद कर रहा था, तब फरियादी ने उसके छोटे भाई से बोला था कि वह जबरन झगड़ा क्यों कर रहा है, तभी अभियुक्त आया था एवं उसके छोटे भाई से कहा था कि हल्ला क्यों कर रहा है कहकर फरियादी के भाई को दो—तीन झापड़ पीठ पर मारे थे और कहा था कि मादरचोद यहां से चला जा, तो फरियादी ने बोला था कि उसके भाई को क्यों मार रहा है। फरियादी द्वारा अभियुक्त को मना करने पर अभियुक्त फरियादी से बोला था कि वह कौन होता है जबान चलाता है कहकर अभियुक्त ने मादरचोद की गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर फरियादी को कुल्हाड़ी से मारा था, जिससे फरियादी के दाहिने हाथ के पंजे पर चोट लगकर खून निकलने लगा था। घटना में नरेन्द्र, सुरमन ने बीच बचाव किया था। पुलिस थाना बिरसा ने फरियादी का मेडीकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने में अपराध कमांक—06 ∕ 2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।

4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा 1 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।

5— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—24/01/2012 को समय करीब 01:30 बजे स्थान प्रेमसिंग के घर के सामने ग्राम चरचेण्डी थाना अंतर्गत बिरसा में लोकस्थान पर फरियादी धनेश्वर मरावी को कुल्हाड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी ?

—:<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :--

6— धानेश्वर अ.सा.5 का कहना है कि वह अभियुक्त को जानता है। अभियुक्त उसका मामा है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से 4–5 वर्ष पूर्व की बरसादीलाल के घर की ग्राम चरचेण्डी की है। ग्राम चरचेण्डी में गंगापूजन का कार्य हो रहा था। साक्षी वहां गया था। अभियुक्त वहां उसकी पत्नी के साथ आया था। साक्षी का भाई रामेश्वर उसके दादा देवसिंह मेरावी से विवाद कर रहा था, तब साक्षी ने उसके छोटे भाई से बोला था कि वह जबरन झगड़ा कर रहा है।

उसी समय अभियुक्त आया था और रामेश्वर से क्यों हल्ला कर रहा है कहकर विवाद करने लगा था एवं छीना—झपटी हो गई थी, जिससे वह गिर गया था, इस कारण उसे चोट आई थी। साक्षी का अभियुक्त से विवाद हुआ था। इस कारण साक्षी ने प्रदर्श पी—5 की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने साक्षी की निशानदेही पर प्रदर्श पी—2 का नक्शामौका बनाया था। प्रदर्श पी—5 की रिपोर्ट का ए से ए भाग पर साक्षी को पढ़कर सुनाए जाने पर साक्षी ने प्रदर्श पी—5 की रिपोर्ट का ए से ए भाग पुलिस को लिखाने से इंकार किया है। पुलिस ने कैसे लिखा साक्षी को पता नहीं। पुलिस ने साक्षी के कथन लिये थे।

- 7— रामेश्वर अ.सा.4 ने धानेश्वर अ.सा.5 की साक्ष्य का समर्थन करते हुए बताया है कि अभियुक्त घटना के समय घटनास्थल पर आया था एवं साक्षी से विवाद करने लगा था, इस कारण साक्षी छीना—झपटी में गिर गया था। साक्षी का भाई धानेश्वर बीच—बचाव में बोला था कि उसके दादा से विवाद क्यों कर रहे हो, तब अभियुक्त ने साक्षी के भाई से बोला था कि वह कौन होता है बीच में बोलने वाला। धानेश्वर अ.सा.5, रामेश्वर अ.सा.4 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उन्होने पुलिस को कथन नहीं दिये थे। उनके समक्ष प्रदर्श पी—2 का मौकानक्शा तैयार नहीं किया गया था। धानेश्वर अ.सा.5, रामेश्वर अ.सा.4 के कथन पुलिस ने कैसे लिख लिये साक्षीगण को पता नहीं है।
- 8— नरेन्द्र अ.सा.1 का कथन है कि उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।
- 9— एम. मेश्राम अ.सा.3 का कथन है कि वह दिनांक—27.01.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना बिरसा से आरक्षक तेजराम क. 1052 आहत धानेश्वर को मेडिकल परीक्षण के लिए लेकर आया था। परीक्षण करने पर साक्षी ने निम्न उपहितयां पाई थी। चोट क.1 दाहिने हाथ की प्रथम उंगली पर एक इंसाईज्ड चोट जिसका आकार 2 इंच गुणा 1 इंच गुणा 0.5 इंच था। चोट क. 2 दाहिनी हथेली के पृष्ट भाग पर एक सूजन थी, जिसका आकार 3 इंच गुणा 2 इंच था। चिकित्सक के अभिमत में आहत की चोट क.1 धारदार वस्तु से एवं चोट क. 2 किसी कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आना दर्शित होकर चोट क. 1 साधारण प्रकृति की थी। चोट क. 2 के लिए चिकित्सक ने आहत के दाहिने हाथ की कार्पल हड्डी के टूटने की संभावना को देखते हुए एक्सरे के उपचार के लिए अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास बालाघाट रेफर किया था। आहत को आई सभी चोटें मेडिकल परीक्षण के समय 2 से 6 घंटे के अंदर की थी। चिकित्सक की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—4

है, जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक साक्षी के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि चोट क. 1 किसी नुकीले पत्थर पर गिरने से आ सकती थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि चोट क.2 में साक्षी ने उंगली टूटना नहीं पाया था। उंगली टूटने की संभावना से आहत को रेफर किया था, लेकिन साक्षी को पता नहीं है कि आहत ने एक्सरे कराया था या नहीं कराया था। प्रदर्श पी—4 की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में यह लिखा है कि धानेश्वर ने उसको आई उपहतियों का एक्सरे नहीं कराया था।

10— भीमेश्वर पारधी प्रधान आरक्षक अ.सा.2 का कहना है कि दिनांक—30.01.12 को उन्हें थाना बिरसा के अपराध क. 06/12 की केस डायरी अनुसंधान के लिए प्राप्त हुई थी, तब साक्षी ने अनुसंधान के समय फरियादी धानेश्वर की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था। उक्त दिनांक को साक्षी ने फरियादी धानेश्वर, साक्षी नरेन्द्र मरावी, प्यारीबाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किये थे। उक्त दिनांक को साक्षियों के समक्ष अभियुक्त से एक कुल्हाड़ी जप्त कर प्रदर्श पी—3 का जप्तीपत्रक तैयार किया था। उक्त दिनांक को अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—4 बनाया था। इस साक्षी ने उसके अनुसंधान के अनुरूप साक्ष्य दी है।

11— धानेश्वर अ.सा.5, रामेश्वर अ.सा.4 ने उनकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उनका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। राजीनामा करने के कारण फरियादी एवं रामेश्वर ने उनकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। नरेन्द्र अ.सा.1 प्रकरण में पक्षविरोधी हो गया है। चिकित्सक एम्, मेश्राम अ.सा.3 के द्वारा धानेश्वर को रेफर करने के उपरांत भी धानेश्वर ने एक्सरे नहीं कराया था। आहत धानेश्वर का प्रकरण में एक्सरे नहीं हुआ था। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है कि धानेश्वर को किसी प्रकार की गंभीर चोट थी। धानेश्वर अ.सा.५, रामेश्वर अ.सा.४ ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्त द्वारा मारपीट करने के बारे में नहीं बताया है। इस कारण चिकित्सक एम. मेश्राम अ.सा.3 की साक्ष्य से धानेश्वर की उपहतियों का समर्थन नहीं होता है। धानेश्वर अ.सा.5, रामेश्वर अ.सा.४ ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। रामेश्वर अ.सा.४, धानेश्वर अ.सा.५ एवं प्रकरण के स्वतंत्र साक्षी नरेन्द्र अ.सा.१ की साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध घटना प्रमाणित नहीं मानी जाती है। अभियोजन पक्ष प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से अभियुक्त कि विरूद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी धनेश्वर मरावी को कुल्हाड़ी से मारकर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्त का धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। 13-

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की कुल्हाड़ी बांस बेसा लगी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

सही/-(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, (जिला–बालाघाट म.प्र.

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

सही / – (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, तहसील बैहर, जिला-बालाघाट म.प्र.